न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक–12.09.2022

मुकदमा नम्बर 181 / 2022

1. भागोती देवी स्त्री बुद्वराम
2. बुद्वराम सैनी पुत्री मूलाराम जाति माली निवासी नीम की ढाणी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादीगण

1. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
2. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
3. कनिष्ठ अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री स्नेहलता वर्मा

वकील प्रतिवादी :– श्री आनन्दीलाल सैनी

दावा बाबत : स्थाई निषेधाज्ञा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक–31.07.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम नीम की ढाणी पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2228 / 1450 रकबा 0.1100 है0 तथा खसरा नम्बर 2229 / 1450 रकबा 2.2300 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.3400 है0 स्थित है। उक्त भूमि में वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा काश्त व उपयोग उपभोग करते है। वादीगण की कब्जे काश्त की भूमि पर प्रतिवादीगण सड़क डालना चाहते है एवं उसकी बनी हुई चार दीवारी व पानी की खते एवं पेड़ पौधो को तोड़ देना चाहते है वादीगण के स्वामित्व की कृषि भूमि से सटकर सड़क जो झाझड़ से बेरी की ओर जाती है सड़क डाल रहे" वादीगण को नाजायज रूप से हैरान व परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे है जिनको ऐसा कृत्य करने का कोई विधिक अधिकार नही है। वादीगण की काश्त की भूमि से सटकर वादीगण की परनी की खतेज जो सैकड़ो वर्ष पुरानी है पेड़ पौधे जो काफी बड़े है नाजायज रूप से सड़क डालकर तोड़ देना चाहते है यदि प्रतिवादीगण इन सभी को तोड़कर सड़क डालते है तो वादीगण की कृषि भूमि बेकार हो जायेगी और वादी को काफी नुकसान होगा एवं वादी की आजीविका समाप्त हो जायेगी। वादीगण काश्त नही कर सकते कर सकेगे एवं वादीगण पूर्णरूप से बर्बाद हो जायेगे। प्रतिवादीगण केवल राजनीतिक दबाब के कारण वादीगण के हक हकूक व कब्जे काश्त की भूमि को बर्बाद करने पर तुले हुये है जिसकी रक्षा करने का दायित्व न्यायालय का है भी है ताकि कानून का राज कायम रहे इसलिए दावा सेवा में पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण की चार दीवारी, परी की खेल पेड़ पौधे आदि को तोड़ फोड़कर वेस्ट व डेमेज नही करेंएवं ना ही अपने अधिनस्थ ठेकेदार कर्मचारी व नौकर चाकर आदि से करवाये। वादीगण को शांति से उपयोग उपभोग करने देवे, मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पेश जबाब दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि – [illegible] होने पर नही बनायी गई। उक्त विवादग्रस्त भूमि में कटानी रास्ते में सड़क बनायी जा रही है [illegible] कोई [illegible] नही है। रास्ता काफी समय से भूमि में कटाणी रास्ता है जो मौके पर [illegible] मंगवायी गई। पटवारी रिपोर्ट चला आ रहा है। उसी रास्ते पर सड़क बनायी जानी है। जिसकी [illegible] रिपोर्ट [illegible] जिसमें सड़क के दक्षिण सीमा के दिनांक 30.01.2023 व गिरदावर रिपोर्ट दिनांक 29.05.2023 [illegible] गई। वादीगण द्वारा जबा[illegible] काश्तकार भूमि देने में सहमत नही होने से उपरोक्त सड़क [illegible] गई। [illegible] को अंतर्गत धारा 80 (2) सीपीसी का दो माह का नोटिस नही देने के कारण वाद खारिज होने [illegible] अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:21:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रतिवादीगणों की ओर से जबाब देही पेश होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई।

1. तनकी नम्बर 1 :– आया वादीगण राजस्व ग्राम नीम की ढाणी पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2228/1450 रकबा 0.1100 है0 तथा खसरा नम्बर 2229/1450 रकबा 2.2300 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.3400 है0 भूमि पर प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

भा.स.वादी

2. तनकी नम्बर 2 :– आया वाद में विवादग्रस्त भूमि पर सड़क विवाद होन पर सड़क नही बनायी गई अतः वाद कारण के अभाव में दावा खारिज होने योग्य है।

भा.स.प्रतिवादीगण

3. दादरशी :–

तनकीयात कायम होने पर सहादत ली गई। शहादत वादी में भागोती, बुद्वराम तथा प्रमोद ने उपस्थित होकर चीफ का सपथ पत्र पेश किये तथा सहादत प्रतिवादी में कविता सैनी अधिकृत एवं प्रभारी अधिकारी हाल सहायक अभियंता सा0नि0वि0 नवलगढ की ओर से उपस्थित न्यायालय होकर चीफ के सपथ पत्र पेश किये। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 तथा नकल नक्शा टैस आदि दस्तावेजात् पेश किये गयें।

सहादत प्रस्तुत होने पर बहस अंतिम वकील उभय पक्ष सुनी गई। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करते हुए निर्णय तनकीवार निम्नानुसार हैः–

- तनकी नम्बर 1 :– तनकी नं0 1 को साबित करने का भार वादी पर है। उक्त तनकी में वादी की ओर से राजस्व ग्राम नीम की ढाणी पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2228/1450 रकबा 0.1100 है0 तथा खसरा नम्बर 2229/1450 रकबा 2.2300 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.3400 है0 भूमि पर प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अनुतोष चाहा है। उक्त भूमि में वादीगण जमाबंदी सम्वत् 2075–78 के अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि में किसी प्रकार का रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नही है। अतः वादीगण की खातेदारी की भूमि पर किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। अतः तनकी नं0 1 को साबित करने में वादी सफल रहा है। तनकी नं0 1 वादी के पक्ष में तय की जाती है।
- तनकी नम्बर 2 :– तनकी नम्बर 02 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। उक्त तनकीयों को प्रतिवादीगण साबित करने में असफल रहे है। अतः तनकी नं0 2 प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

–:: **आदेश** ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम नीम की ढाणी पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2228/1450 रकबा 0.1100 है0 तथा खसरा नम्बर 2229/1450 रकबा 2.2300 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.3400 है0 भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु तथा वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा पैदा नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर [illegible] तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:21:12 IST
Reason: SelfAttested

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– 181 / 2022 (**भागौती बनाम अधिशाषी अभियंता आदि**)

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 31.07.2025 निर्णय अनुसार वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम नीम की ढाणी पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2228 / 1450 रकबा 0.1100 है0 तथा खसरा नम्बर 2229 / 1450 रकबा 2.2300 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.3400 है0 भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु तथा वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा पैदा नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.07.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:21:12 IST
Reason: SelfAttested